

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगपुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

12/2025

03.4.2025

30.06.2025

1. ज्ञानसिंह पुत्र खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
2. भूरसिंह पुत्र खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
3. नाहरसिंह पुत्र खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
4. राजन्ती बेबा खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
5. मुकेश पुत्र खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
6. मीरा पुत्री खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
7. काडी पुत्री खिलाडी, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
8. देवनारायण पुत्र नादान, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
9. पप्पू पुत्र नादान, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
10. सन्जो बेबा नादान, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
11. पपीता पुत्री नादान, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
12. लोहडी पुत्री नादान, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र हरना, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
2. बदरसिंह पुत्र बृजमोहन, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
3. हुकमसिंह पुत्र बृजमोहन, गुर्जर निवासी गढी गोपालपुरा तह0 बामनवास
4. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार बामनवास
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा कोयला

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाजदायरी मु0न0 43/19 दिनांक 17.3.2025 मुकदमा उनवानी
ज्ञानसिंह बनाम बृजमोहन वगैरा दावा बाबत इस्तकरारहक खातेदारी दुरूस्ती

इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिस्थित :-श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1,2,3 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रार्थीगण ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमे मे दिनांक 17.3.25 तारीख पेशी नियत थी। उस दिन प्रार्थीगण की गैरहाजरी मे मुकदमा अदम हाजरी न अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी ओर से प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण गैरहाजरी नहीं थे बल्कि प्रार्थीगण ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर व राजस्व मंडल अजमेर मे मुकदमे को दीगर न्यायालय मे ट्रांसफर किये जाने के प्रार्थना पत्र

उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी (स0या0)



(2)

पेश लिये थे तथा दिनांक 17.3.2025 को भी प्रार्थी ज्ञानसिंह ने रेवन्यु बोर्ड के ट्रांसफर ऐपीलकेशन की नकल पत्रावली में पेश की थी तथा प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित था। उसके बावजूद भी प्रार्थी का मुकदमा अदम हाजरी में खारिज कर दिया तथा प्रार्थी ने दिनांक 17.3.2025 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। प्रार्थीगण जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुए बल्कि प्रार्थी ज्ञानसिंह उस दिन सभ्य उपस्थित था। ट्रांसफर ऐपीलकेशन लगाने से उनके वकील मोहम्मद इस्लाम खान ने मुकदमे में पैरवी नहीं करना जाहिर किया। उसके बावजूद भी न्यायालय को प्रार्थी ज्ञानसिंह के उपस्थित रहने के कारण दावा खारिज नहीं करना चाहिए था। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का है जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मुकदमे को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। मूल वाजदायरी प्रार्थना पत्र के जबाब में अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 ने अंकित किया है कि दावा वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 17.3.2025 को खारिज होने के कारण बाजदायरी प्रार्थना पत्र निराधार पेश किया गया है। वादीगण संख्या में 12 हैं जो दिनांक 17.3.2025 को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। माननीय न्यायालय ने कानून सम्मत तरीके से दावा अदम हाजरी पैरवी में खारिज किया गया है। उक्त 12 वादीगण ने अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण अंकित नहीं किया है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र में बिना कारण दर्शित किये एवं उस कारण को साबित किये बिना वादीगण का प्रार्थना पत्र कानून चले एवं स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादीगण बदनियती पूर्वक प्रकरण में उपस्थित नहीं कराना चाहते थे तथा माननीय न्यायालय पर अनावश्यक आरोप लगा रहे थे तथा लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र वाजदायरी के साथ प्रार्थीगण ने नकल आदेशिका दिनांक 17.03.25 मु0नं0 43/19 उनवानी ज्ञानसिंह बनाम बृजमोहन वगैरा, न्यायालय उमरगा कलेक्टर गंगापुर सिटी प्रस्तुत की है।

मूल वाद के समर्थन में अप्रार्थीगण ने नोटिस असल माननीय राजस्व मंडल अजमेर प्रसकिल प्रार्थना पत्र संख्या 2084/25 उनवानी ज्ञानसिंह बनाम विजेन्द्र मीना बनाम पेशी 26.6.2025 प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी जाये।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करके मूल प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर



(3)

पर लेने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2009 (3) सी.टी. (एससी) पेश किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए बाजदायरी प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2012 (2)डीएनजे पेश किया है।

बहस पर मनन किया। वाजदायरी प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मूल वाद घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुर्रुस्ती का है। जिसके कारण प्रकरण को मेरिट पर निश्चित किया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मूल वाद संख्या 43/19 उनवानी ज्ञानसिंह वगैरा बनाम बृजमोहन वगैरा में इस न्यायालय द्वारा वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज करने सम्बन्धी दिनांक 17.03.2025 को पारित आदेश निरस्त किया जाकर इस वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार वाद पुनः नम्बर पर लिया जावे एवं वाद में उभयपक्ष की सुनवाई की जावे।

वाजदायरी प्रार्थना पत्र निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.6.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बृजन्द्र मीना)

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी (संभाग)